भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1292
28.06.2019 को उत्तर के लिए

मेट्रोपॉलिटन सिटी में हरित क्षेत्र

1292. श्री कनकमल कटारा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में कुल हरित क्षेत्र में सड़कों, इमारतों, पुलों, लेन आदि जैसी ठोस अवसंरचना का अनुपात कितना है;
(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट हरित क्षेत्र अनुपात की निगरानी हेतु कोई विनियमन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त अनुपात को पर्याप्त रूप से बनाए रखा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्र में ठोस अवसंरचना की तुलना में पौध रोपण के विशिष्ट अनुपात को बनाए रखने हेतु कोई अनिवार्य प्रावधन बनाने का है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ) शहर और देश नियोजन संगठन (टीसीपीओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए मोडेल बिल्डिंग बॉय-लॉज के तहत शहर / प्लाट में हरित आवरण की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन (एनएसएचएफ) के संरेखण में शहर और स्थल स्तरीय हरिणली करना निर्धारित किया गया है।

मॉडेल बिल्डिंग बॉय-लॉज, 2016, के शहरी ग्रीनिंग दिशानिर्देश, 2014 और अन्य प्रावधानों के तहत 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉट के लिए प्रति 80 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र पर न्यूनतम 1 वृक्ष और परिसरों के भीतर 1:3 अनुपात में काटे गए / प्रत्यारोपित वृक्षों के लिए प्रतिपूर्ति रोपण करने का प्रावधान रखा गया है। स्थल पर और सड़क से सटे हुए स्थान पर रोपण हेतु प्रजातियों का चयन, शहरी ग्रीनिंग दिशानिर्देश, 2014 की धारा 8 के अनुसार किया जाना है और कच्चा क्षेत्र, मनोरंजन प्रयोजनार्थ खुले स्थान के 20% से अधिक अथवा उसके बराबर होना चाहिए।

******